# कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14—अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : UP32201UP1999SGC024928
दूरभाष 0522—2288656 E Mail- ce.hydel@uppcl.org


संख्याः— 1155 —अ—7 / मु0अ0(हा0) / आवास नीति—2024 दि0:—11.11.2024

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.11.2024 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा **"उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों की आवंटन नीति—2024"** निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:—

## उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों की आवंटन नीति—2024

| | | |
|---|---|---|
| 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रयोजन | i. | यह नीति, **'उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन नीति—2024'** कही जायेगी। यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी। |
| | ii. | यह नीति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के समस्त कार्मिकों पर लागू होगी। यह नीति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के कार्मिकों को उनके नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन के लिये प्रयुक्त होगी। |
| | iii. | इस नीति के अंतर्गत उ०प्र० राज्य विद्युत् उत्पादन निगम के लखनऊ में तैनात कार्मिकों को भी जनपद लखनऊ की कालोनियों में स्थित आवास आवंटित किये जा सकेंगे। |
| 2. परिभाषायें | | जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नीति में— |
| | i. | 'कार्मिक' का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कंपनियों, उ०प्र० रिन्यूएबल एंड इ०वी० इंफ्रास्ट्रक्चर लि०, उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के समस्त कार्मिको से तथा उ०प्र० राज्य विद्युत् उत्पादन निगम के लखनऊ में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों से है; |
| | ii. | 'आवास' का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन किसी आवासीय भवन से है; |
| | iii. | 'आवंटन' का तात्पर्य किसी आवास के अध्यासन के लिये किसी कार्मिक को अधिकृत किये जाने से है; |

iv. 'आवंटी' का तात्पर्य ऐसे कार्मिक से है, जिनको आवास का आवंटन किया गया है;

v. 'अध्यासन' का तात्पर्य आवंटी द्वारा उसको आवंटित किये गए आवास का कब्जा प्राप्त करने से है;

vi. 'अध्यासी' का तात्पर्य आवंटित आवास का अध्यासन लेने वाले कार्मिक से है;

vii. 'फ्लैट रेट रेन्ट' का तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जिसका निर्धारण कारपोरेशन द्वारा लिविंग एरिया के आधार पर किया जायेगा। जनपद लखनऊ में स्थित विभिन्न श्रेणी के आवासों के फ्लैट रेट रेन्ट की दर इस नीति के साथ संलग्न मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण द्वितीय के ज्ञाप संख्या 4558–मु०अ० (जानपद)/पारेषण–द्वितीय/ए–4 दिनाँक 16.08.2012 (संलग्नक–1) के अनुसार होगी। फ्लैट रेट रेन्ट की इन दरों को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा। अन्य जनपदों में फ्लैट रेट रेन्ट की दर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित दर के अनुसार होगी।

viii. 'क्षतिपूर्ति किराया' का तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जो कि अनधिकृत अथवा अवैध अध्यासन की स्थिति में देय होगी।

**3. आवास के प्रकार**

i. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन आवासों के प्रकार निम्नवत है:–

1. श्रेणी–01
2. श्रेणी–02
3. श्रेणी–03
4. श्रेणी–04
5. श्रेणी–05
6. लखनऊ में स्थित निदेशक आवास (6 नग)

**4. आवास आवंटन की पात्रता**

i. समस्त कार्मिकों को उनके वर्तमान पद के वेतन के आधार पर निम्नांकित तालिका में उनके सम्मुख दर्शायी गयी श्रेणी के आवास ही अनुमन्य होंगे। भविष्य में वेतन संशोधित होने की स्थिति में यह तालिका समकक्ष वेतनों के अनुसार संशोधित मानी जाएगी। आवासों की पात्रता उनके वर्तमान पद विशेष के मूल वेतन मैट्रिक्स के अनुसार ही होगी। समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० की सुविधा पाकर उच्च वेतन मैट्रिक्स में पहुँच जाने से पात्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा एवं पात्रता अप्रभावित ही रहेगी :–

| क्रम सं० | सातवाँ वेतन आयोग दिनांक (01.01.2016) से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स | कारपोरेशन आवास की श्रेणी |
|---|---|---|
| 1 | 19900 (लेवल–01) | श्रेणी–01 |
| 2 | 21700 (लेवल–02) | |
| 3 | 22400 (लेवल–03) | श्रेणी–02 |
| 4 | 27200 (लेवल–04) | |
| 5 | 29800 (लेवल–05) | |
| 6 | 36800 (लेवल–06) | श्रेणी–03 |
| 7 | 44900 (लेवल–07) | |
| 8 | 47600 (लेवल–08) | |
| 9 | 56100 (लेवल–10) | श्रेणी–04 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 67700 (लेवल–11) | |
| 11 | 123100 (लेवल–12) | |
| 12 | 131100 (लेवल–13) | श्रेणी–05 |
| 13 | 144200 (लेवल–14) | |
| 14 | 171400 (लेवल–15) | |

ii. उक्त प्रस्तर 4(i) के अनुसार मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता श्रेणी–05 के आवास हेतु अर्ह हैं, परन्तु श्रेणी 05 के आवासों की संख्या अत्यन्त कम होने के कारण उन्हें श्रेणी–04 के आवास भी प्रस्तर 6 में दिए गए वरिष्ठता के प्राविधानों के अनुसार आवंटन हेतु अनुमन्य होंगे।

iii. किसी भी कार्मिक को अनुमन्य श्रेणी से उच्च श्रेणी का आवास आवंटित नही किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी कार्मिक को इस नीति के अनुसार अनुमन्य श्रेणी से उच्च श्रेणी का आवास, इस नीति के निर्गत होने के पूर्व से ही मिला हुआ है तो ऐसी स्थिति में कार्मिक से वर्तमान आवास खाली नहीं कराया जायेगा किन्तु उससे उच्च श्रेणी के आवास के फ्लैट रेट रेन्ट का 02 गुना किराया लिया जाएगा। ऐसे आवास कार्मिक विशेष के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति पर ही खाली कराये जा सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में कार्मिक के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वह उच्च श्रेणी का आवास खाली करके उसे अनुमन्य श्रेणी का आवास आवंटित करा लें।

iv. यदि किसी कार्मिक द्वारा अर्ह श्रेणी से निम्न श्रेणी के आवास आवंटन हेतु आवेदन किया जाता है तो निम्न श्रेणी के आवास का आवंटन तभी अनुमन्य होगा यदि उस श्रेणी के आवास विशेष के लिए किसी अर्ह कार्मिक द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। यह प्राविधान प्रस्तर 4(ii) के सन्दर्भ में लागू नहीं होगा।

v. निदेशक श्रेणी के 6 नग आवासों में से 5 नग आवासों का आवंटन केवल उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के निदेशक पद के अधिकारियों को ही किया जायेगा। यह आवास किसी अन्य श्रेणी के कार्मिकों को आवंटित नहीं किये जायेगे। इन 5 नग आवासों का आवंटन अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1 नग आवास (बी–165, शंकर एन्क्लेव, निराला नगर) उ०प्र० राज्य विद्युत् उत्पादन निगम के निदेशक पद के लिए सुरक्षित रहेगा जिसका आवंटन अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जाएगा।

**5. आवास–आवंटन समिति**

i. जनपद लखनऊ में स्थित कालोनियों में आवास आवंटित किये जाने का कार्य निम्नांकित आवास आवंटन समिति द्वारा किया जायेगा–

1. अपर सचिव–तृतीय, उ०प्र०पा०का०लि० – अध्यक्ष
2. मुख्य अभियंता (हाइडिल), उ०प्र०पा०का०लि० – सदस्य
3. मुख्य महाप्रबंधक (लेखा), उ०प्र०पा०का०लि० – सदस्य

ii. लखनऊ के अतिरिक्त डिस्कॉम मुख्यालय वाले अन्य जनपदों (मेरठ, आगरा, कानपुर एवं वाराणसी) में वितरण स्कंध के अन्तर्गत आने वाली सम्बन्धित जनपद की समस्त कालोनियों के आवासों के आवंटन हेतु समिति का गठन सम्बन्धित डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा एवं इस समिति द्वारा आवास आवंटित किए जाने का कार्य किया जायेगा।

| | |
|---|---|
| | iii. उक्त प्रस्तर 5(i) एवं 5(ii) में अंकित 5 जनपदों के अतिरिक्त अन्य जिन जनपदों में मुख्य अभियन्ता (वितरण) तैनात हैं, उन जनपदों में वितरण स्कंध के अन्तर्गत आने वाली जनपद की समस्त कालोनियों के आवासों के आवंटन हेतु समिति का गठन जनपद के मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा किया जायेगा एवं इस समिति द्वारा आवास आवंटित किए जाने का कार्य किया जायेगा। यदि किसी जनपद में एक से अधिक मुख्य अभियन्ता (वितरण) तैनात होंगे तो समिति का गठन उसी मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा किया जायेगा जिनके अधिकार क्षेत्र में आवास अवस्थित हैं।<br><br>उक्त आवंटन समिति का गठन निम्नांकित प्रकार किया जायेगाः–<br>1. एक अधीक्षण अभियन्ता – अध्यक्ष<br>2. एक अधिशासी अभियन्ता – सदस्य<br>3. एक अधिशासी अभियन्ता – सदस्य एवं संयोजक (जो सम्बन्धित कालोनी के रख–रखाव एवं अनुरक्षण का प्रभारी हो)<br><br>iv. उक्त प्रस्तर 5(i), 5(ii) एवं 5(iii) में संदर्भित जनपदों के अतिरिक्त जिन जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) ही उच्चतम अधिकारी हैं, उन जनपदों में वितरण स्कंध के अन्तर्गत आने वाली जनपद की समस्त कालोनियों के आवासों के आवंटन हेतु समिति का गठन अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा निम्नांकित प्रकार से किया जायेगा एवं इस समिति द्वारा आवास आवंटित किए जाने का कार्य किया जायेगा :–<br>1. अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) – अध्यक्ष<br>2. एक अधिशासी अभियन्ता – सदस्य<br>3. एक अधिशासी अभियन्ता – सदस्य एवं संयोजक (जो सम्बन्धित कालोनी के रख–रखाव एवं अनुरक्षण का प्रभारी हो)<br><br>v. उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के उपकेन्द्रों के अन्तर्गत आने वाली कालोनियों के आवासों के आवंटन हेतु समिति का गठन उस जनपद से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (पारेषण) द्वारा किया जायेगा एवं इस समिति द्वारा आवास आवंटित किए जाने का कार्य किया जायेगा। |
| 6. आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण | i. किसी भी जनपद में उपलब्ध खाली आवासों का आवंटन 'प्रथम–आवत, प्रथम–पावत' के सिद्धांत (First-come, First-served basis) पर किया जायेगा। कार्मिक को आवास आवंटन की वरिष्ठता निर्धारण हेतु विवरण प्रारूप–1, जो इस नीति में संलग्न है, में भरकर लखनऊ जनपद में स्थित कालोनियों के आवासों हेतु मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय में, डिस्कॉम मुख्यालय वाले जनपदों एवं अन्य जनपदों में स्थित कालोनियों के आवासों हेतु सम्बन्धित आवास आवंटन समितियों के संयोजक के कार्यालय में प्रेषित करना होगा। सम्बन्धित समिति के संयोजक द्वारा इस वरिष्ठता विवरण को रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जायेगा।<br><br>ii. आवास आवंटन हेतु वरिष्ठता का निर्धारण कार्मिक द्वारा उस जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से किया जायेगा। जनपद में कार्यभार ग्रहण |

| | | |
|---|---|---|
| | | करने की तिथि एक समान होने पर कार्मिक के सेवा में नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा। सेवा में नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भी समान होने पर जन्म तिथि की वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा। |
| | iii. | कार्मिक का किसी जनपद से बाहर स्थानांतरण होने के पश्चात भविष्य में उसी जनपद में पुनः तैनाती होने पर आवास हेतु वरिष्ठता का निर्धारण नवीन तैनाती के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से किया जायेगा। परन्तु यदि कार्मिक एक जनपद से स्थानान्तरित होने के पश्चात 02 माह की अवधि (जो कि स्थानांतरण की स्थिति में अध्यासन बनाये रखने की निर्धारित अवधि है) के भीतर वापस उसी जनपद में तैनात हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कार्मिक को आवास का पुनरावंटन नहीं कराना होगा एवं वह उसी आवास में अध्यासित रह सकेगा। |
| 7. आवास आवंटन की प्रक्रिया | i. | जनपद लखनऊ में मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) कार्यालय एवं अन्य जनपदों हेतु सम्बन्धित आवास आवंटन समितियों के संयोजक के कार्यालय द्वारा वरिष्ठता हेतु निर्धारित प्रारूप–1, जो इस नीति में संलग्न है, में प्राप्त सूचना के आधार पर रजिस्टर अथवा ऑनलाइन प्लेटफार्म में उपरोक्तानुसार वरिष्ठता सूची बनाई जायेगी। प्रत्येक आवास श्रेणी हेतु अलग–अलग वरिष्ठता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। |
| | ii. | सभी श्रेणियों के रिक्त एवं रहने योग्य आवासों की सूची प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सम्बन्धित जानपद इकाई द्वारा सम्बन्धित आवास आवंटन समिति के संयोजक के कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। |
| | iii. | तत्पश्चात सम्बन्धित आवास आवंटन समिति के संयोजक के कार्यालय द्वारा कार्मिकों से अर्ह श्रेणी के रिक्त आवासों के सापेक्ष विकल्प देने के लिए माह की 10 तारीख तक नोटिस जारी किया जायेगा। यह नोटिस इस प्रकार निर्गत किया जायेगा जिससे कि सम्बन्धित आवास हेतु अर्ह प्रत्येक कार्मिक को यह सूचना प्राप्त हो सके। |
| | iv. | रिक्त आवासों के सापेक्ष विकल्प देने की नोटिस निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर कार्मिकों द्वारा आवास आवंटन हेतु रिक्त आवासों में से वांछित आवास का विकल्प प्रारूप–2, जो इस नीति में संलग्न है, में दिया जायेगा। कार्मिक द्वारा उन्हीं आवासों के विकल्प दिए जाने चाहिए जिनमें जाने हेतु वह वास्तव में इच्छुक हों। विकल्प प्रारूप–2 लिए जाने के माध्यम (ईमेल/गूगल फॉर्म/हार्ड कॉपी आदि) का निर्धारण आवास आवंटन समिति द्वारा किया जायेगा। |
| | v. | पात्र कार्मिक को आवास का आवंटन उनके द्वारा दिए गए आवास के विकल्प एवं पात्रता सूची में उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी आवास विशेष हेतु अर्ह श्रेणी के 04 कार्मिकों ने आवेदन किया है तो उन 04 कार्मिकों में से वरिष्ठता सूची के क्रम में सबसे ऊपर आने वाले कार्मिक को आवास विशेष आवंटित कर दिया जायेगा। |
| | vi. | कार्मिक आवास के विकल्प की नोटिस में प्रकाशित एक या अधिक आवासों का विकल्प वरीयता के क्रम में दे सकेंगे। इनमें से कार्मिक को वरिष्ठता क्रम |

के अनुसार जिस उच्चतम वरीयता का आवास प्राप्त हो रहा होगा वह उसे आवंटित कर दिया जायेगा।

vii. कार्मिकों को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर आवास का आवंटन किए जाने के आदेश आवास आवंटन समिति के निर्णयोपरांत समिति के संयोजक द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

viii. आवास आवंटन होने के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक का नाम वरिष्ठता सूची से हटा दिया जायेगा। किसी आवास आवंटन नोटिस के अंतर्गत आवेदन करने के पश्चात् यदि कार्मिक को आवास आवंटित नहीं होता है तो वह आगामी आवास आवंटन नोटिसों के अंतर्गत आवेदन कर सकेगा।

ix. ऐसे आवास जिनके लिए किसी भी कार्मिक से कोई विकल्प प्राप्त नही होगा उन आवासों को अगले माह की नोटिस में पुनः सम्मिलित किया जायेगा।

x. आवंटन के पश्चात आवंटी को आवंटन आदेश की तिथि से 01 माह के अन्दर आवास का कब्जा लेना अनिवार्य होगा। आवंटन आदेश की तिथि से 01 माह की अवधि में आवास का कब्जा न लेने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा वह आवंटी आवंटन आदेश की तिथि से 03 साल की अवधि के लिये आवास आवंटन से वारित (Debar) रहेगा। सम्बन्धित आवास आवंटन समिति द्वारा आवंटन निरस्तीकरण तथा वारित (Debar) किये जाने का आदेश निर्गत किया जायेगा एवं ऐसे आवास को आगामी माह की आवंटन सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

xi. आवंटित आवास यदि मरम्मत योग्य है, तो साधारणतः कार्मिक द्वारा आवास का कब्जा प्राप्त कर साथ में ही संबंधित जानपद इकाई से मरम्मत का अनुरोध किया जायेगा। यदि आवास में ज्यादा मरम्मत की आवश्यकता है, जिसमें कार्मिक को कब्जा लेने हेतु दी गयी 01 माह की अवधि से अधिक समय लगना संभावित हो, तो अधिशासी अभियन्ता जानपद से मरम्मत की अनुमानित अवधि प्राप्त कर कार्मिक द्वारा आवास आवंटन समिति के संयोजक को तत्काल सूचित किया जायेगा, जिसके आधार पर आवंटित आवास में कब्जा लेने हेतु समिति द्वारा समय–विस्तार प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।

xii. कार्मिक द्वारा यदि यह अवगत कराया जाता है कि आवंटित आवास इतना जर्जर है कि रहने के योग्य नहीं है तो अधिशासी अभियन्ता, जानपद से आवास के रहने योग्य ना होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही कार्मिक को समिति द्वारा नये आवास आवंटित किये जाने पर विचार किया जायेगा। ऐसा आवास जानपद खंड द्वारा, इसके रहने योग्य होने का प्रमाणपत्र दिए जाने के पश्चात ही पुनः आवंटन हेतु सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

xiii. यदि कार्मिक एक आवास का कब्जा लेने के पश्चात आवास के परिवर्तन (उसी कालोनी में या अन्य कालोनी में) का अनुरोध करता है तो वर्तमान आवास का कब्जा लेने की तिथि से न्यूनतम 03 वर्ष बाद ही वरिष्ठता के आधार पर आवास के परिवर्तन हेतु विचार किया जायेगा।

| | |
|---|---|
| | xiv. यदि कब्ज़ा लेने के पश्चात कार्मिक द्वारा किसी भी कारण से अध्यासित आवास खाली कर दिया जाता है तो उसी तैनाती (जनपद में) के दौरान उसे पुनः कोई भी आवास आवंटित नहीं किया जायेगा।<br>xv. प्रोन्नति की दशा में उसी जनपद में तैनाती होने पर, यदि कार्मिक उच्च श्रेणी के आवास आवंटन हेतु अर्ह हो जाता है तो उच्च श्रेणी के आवास आवंटन हेतु उसकी वरिष्ठता का निर्धारण प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तर 7(xiii) प्रभावी नहीं होगा।<br>xvi. किसी भी दशा में दो कार्मिकों को आवास के आपसी परिवर्तन (उसी कॉलोनी में या दूसरी कॉलोनी में) की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। |
| 8. आवास अध्यासन की शर्तें | **क. बाहर स्थानान्तरित (सामान्यतः या पदोन्नति पर) होने की दशा में :**<br>i. कार्मिक को वर्तमान जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित होने की स्थिति में कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा।<br>ii. कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से दो महीने की अवधि समाप्ति होने के उपरान्त आवास को खाली ना करने की स्थिति में यह अनधिकृत अध्यासन माना जायेगा और कार्मिक से क्षतिपूर्ति किराये, जो फ्लैट रेट रेन्ट की दर का 10 गुना होगा, की दर से वसूली की जायेगी।<br>iii. हालांकि मध्य सत्र (01 जुलाई से 30 अप्रैल) में स्थानान्तरित होने वाले कार्मिकों द्वारा उनके बच्चों की शिक्षा के दृष्टिगत वर्तमान आवास में अध्यासन की अनुमति हेतु आवास आवंटन समिति से अनुरोध किया जा सकता है। कार्मिक द्वारा ऐसे अध्यासन की अनुमति का अनुरोध कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से 15 दिवस की अवधि के भीतर ही किया जाएगा। इस अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाले अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कार्मिको के स्वयं के अनुरोध पर किये गए स्थानान्तरण की स्थिति में ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।<br>iv. उपरोक्त प्रस्तर 8(क)(iii) के अनुसार प्राप्त अनुरोध पर आवास आवंटन समिति द्वारा परिस्थिति विशेष एवं गुणावगुण के आधार पर अनुरोध प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अनुमति देने या ना देने का निर्णय लिया जायेगा एवं सकारण आदेश निर्गत करते हुए कार्मिक को सूचित किया जायेगा।<br>v. उपरोक्त प्रस्तर 8(क)(iii) के अनुसार प्राप्त अनुरोध पर ऐसे अध्यासन की अनुमति अधिकतम आगामी जून माह के अन्त तक ही प्रदान की जायेगी। अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में प्रदत्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अध्यासन अनधिकृत माना जायेगा और कार्मिक से क्षतिपूर्ति किराये, जो फ्लैट रेट रेन्ट की दर का 10 गुना होगा, की दर से वसूली की जायेगी।<br>vi. यदि कार्मिक द्वारा उपरोक्त प्रस्तर 8(क)(iii) के प्राविधान के अनुसार अध्यासन को जारी रखने की अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है या आवास आवंटन समिति द्वारा कार्मिक के अनुरोध पर अध्यासन को जारी रखने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, तो ऐसा अध्यासन प्रस्तर अनधिकृत होगा और और कार्मिक |

से क्षतिपूर्ति किराये, जो फ्लैट रेट रेन्ट की दर का 10 गुना होगा, की दर से वसूली की जायेगी।

**ख. सेवानिवृत्त होने की दशा में :**

i. सेवानिवृत्त कार्मिक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आवास को सेवानिवृत्ति से 01 माह की अवधि में खाली कर दें परन्तु आवास 01 माह की अवधि में खाली ना करने की दशा में 04 माह तक का किराया (01 माह का किराया फ्लैट रेट रेन्ट की दर पर तथा शेष 03 माह तक का किराया क्षतिपूर्ति किराये की दर पर, जो फ्लैट रेट रेन्ट की दर का 10 गुना होगा) सेवानिवृत्त कार्मिक की ग्रेच्युटी अथवा देयकों से वसूल कर लिया जाएगा।

ii. 04 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात आवास खाली ना करने पर इस कब्जे को अवैध मानते हुए अग्रेतर अध्यासन की अवधि हेतु क्षतिपूर्ति किराया फ्लैट रेट रेन्ट की 50 गुनी दर से वसूल किया जायेगा। इस क्षतिपूर्ति किराये की वसूली एवं भवन खाली कराने सम्बन्धी आवश्यक विधिक कार्यवाही आवास से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा की जा सकेगी।

**ग. मृत्यु होने की दशा में :**

i. कारपोरेशन कार्मिक के आकस्मिक निधन की स्थिति में आवंटित आवास में सम्बन्धित कार्मिक का आश्रित परिवार कार्मिक के निधन की तिथि से 06 माह तक की अवधि तक फ्लैट रेट रेन्ट की दर पर अध्यासित रह सकेगा।

ii. 06 माह तक का किराया फ्लैट रेट रेन्ट की दर पर कार्मिक के परिवार को अनुमन्य की जाने वाली मृत्यु ग्रेच्युटी/अन्य देयों से वसूल कर लिया जाएगा।

iii. 06 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात आवास खाली ना करने पर इस कब्जे को अवैध मानते हुए अग्रेतर अध्यासन की अवधि हेतु क्षतिपूर्ति किराया फ्लैट रेट रेन्ट की 50 गुनी दर से वसूल किया जायेगा। इस क्षतिपूर्ति किराये की वसूली एवं भवन खाली कराने सम्बन्धी आवश्यक विधिक कार्यवाही आवास से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा की जा सकेगी।

**घ. त्यागपत्र की दशा में :**

i. त्यागपत्र देने वाले कार्मिक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आवास को त्यागपत्र स्वीकृत होने की तिथि से 01 माह के भीतर खाली कर दें। 01 माह का किराया फ्लैट रेट रेन्ट की दर पर त्यागपत्र देने वाले कार्मिक से वसूल कर लिया जाएगा।

ii. 01 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी आवास खाली ना करने पर इस कब्जे को अवैध मानते हुए त्यागपत्र देने वाले कार्मिक से अग्रेतर अध्यासन की अवधि हेतु क्षतिपूर्ति किराया फ्लैट रेट रेन्ट की 50 गुनी दर से वसूल किया जायेगा। इस क्षतिपूर्ति किराये की वसूली एवं भवन खाली कराने सम्बन्धी आवश्यक विधिक कार्यवाही आवास से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा की जा सकेगी।

**च. सेवा से हटाये जाने एवं सेवा से पदच्युति की दशा में :**

i. सेवा से हटाये जाने (Removal) एवं सेवा से पदच्युत (Dismissal) किये जाने की स्थिति में ऐसे कार्मिक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आवास को

| | |
|---|---|
| | 01 माह के भीतर खाली कर दें। 01 माह का किराया फ्लैट रेट रेन्ट की दर से ऐसे कार्मिक से वसूल कर लिया जाएगा।<br>ii. 01 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी आवास खाली ना करने पर इस कब्जे को अवैध मानते हुए ऐसे कार्मिक से अग्रेतर अध्यासन की अवधि हेतु क्षतिपूर्ति किराया फ्लैट रेट रेन्ट की 50 गुनी दर से वसूल किया जायेगा। इस क्षतिपूर्ति किराये की वसूली एवं भवन खाली कराने सम्बन्धी आवश्यक विधिक कार्यवाही आवास से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा की जा सकेगी।<br>**छ. उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ एवं डिस्कॉम स्थित निदेशक आवासों के सम्बन्ध में :**<br>i. उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ एवं डिस्कॉम स्थित निदेशक आवास, सम्बन्धित निदेशकों को कार्यकाल समाप्त होने/किए जाने की तिथि से अधिकतम 01 माह की अवधि में खाली करने होंगे एवं इस अवधि में कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी। 01 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात आवास खाली ना करने पर इस कब्जे को अवैध मानते हुए सम्बन्धित निदेशक से अग्रेतर अध्यासन की अवधि हेतु क्षतिपूर्ति किराया फ्लैट रेट रेन्ट की 50 गुनी दर से वसूल किया जायेगा। |
| 9. आवास का अनधिकृत अध्यासन | i. इस नीति के प्रस्तर 8 में वर्णित अनधिकृत एवं अवैध अध्यासन बनाये रखने की विभिन्न दशाओं में सम्बन्धित कार्मिक से क्षतिपूर्ति किराया वसूला जाएगा।<br>ii. क्षतिपूर्ति किराये की दर फ्लैट रेट रेन्ट की 10 गुनी अथवा 50 गुनी होगी जैसा कि प्रस्तर 8 में वर्णित अनधिकृत एवं अवैध अध्यासन बनाये रखने की विभिन्न दशाओं में प्राविधानित है। |
| 10. निशुल्क आवास की सुविधा | i. तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के विभिन्न 132/220/440 के०वी० विद्युत् उपकेंद्रों पर स्थित आवासों में रहने वाले कार्मिकों, जो अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य से सम्बद्ध हैं, को मिलने वाली निशुल्क आवास की सुविधा यथावत लागू रहेगी परन्तु उन पर इस नीति की अन्य समस्त शर्तें लागू होंगी।<br>ii. निशुल्क आवासों में अवैध कब्जे की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक से उन्हें आवंटित आवास के समकक्ष आवास पर लागू किराये की दर से क्षतिपूर्ति गणना कर वसूली की जायेगी। |
| 11. प्रतिनियुक्ति पर आवास आवंटन | i. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटन की दशा में फ्लैट रेट रेन्ट की दर पर किराया लिया जायेगा।<br>ii. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/सहयोगी निगमों के जो कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में कार्यरत होंगे उनको आवंटित आवास 01 माह के भीतर खाली करना होगा। 01 माह का किराया फ्लैट रेट रेन्ट की दर पर कार्मिक से वसूल कर लिया जाएगा।<br>iii. 01 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी आवास खाली ना करने पर इस कब्जे को अवैध मानते हुए ऐसे कार्मिक से अग्रेतर अध्यासन की अवधि |

| | | |
|---|---|---|
| | | हेतु क्षतिपूर्ति किराया फ्लैट रेट रेन्ट की 50 गुनी दर से वसूल किया जायेगा। इस क्षतिपूर्ति किराये की वसूली एवं भवन खाली कराने सम्बन्धी आवश्यक विधिक कार्यवाही आवास से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) द्वारा की जा सकेगी। |
| 12. शिथिलीकरण | i. | अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 को विशेष परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कार्मिक विशेष को आवास आवंटन प्रक्रिया में शिथिलीकरण करते हुए आवास आवंटन का अधिकार रहेगा। |
| 13. अन्य सामान्य शर्तें | i. | ऐसे कार्मिक जिनका लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, आगरा एवं कानपुर शहर में स्वयं का आवास है उन्हें उनके स्वयं के आवास वाले इन शहरों में तैनाती होने पर विभागीय आवास आवंटित नहीं किया जायेगा। |
| | ii. | कोई भी आवंटी उनको आवंटित आवास में संरचनात्मक प्रकृति (Structural Nature) का कोई भी परिवर्तन (Modification) नही करेगा। |
| | iii. | आवंटी द्वारा उनको आवंटित आवास में स्वयं ही अध्यासन किया जायेगा तथा यह आवास उनके द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को रहने को अथवा किराये पर नही दिया जायेगा। |
| | iv. | ऐसे आवास जो किसी अधिकारी विशेष के पद के लिये चिन्हित (earmarked) है (जैसे कि कतिपय जनपदों में मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के चिन्हित आवास आदि) जिसे किसी अन्य पद के कार्मिक को आवंटित नहीं किया जा सकता है, उस आवास हेतु अधिकारी के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चाहे तो निर्धारित फ्लैट रेट रेन्ट पर अपने पद हेतु चिन्हित (earmarked) आवास में रहें अथवा इस आवास में न रहने की स्थिति में वेतन के दस प्रतिशत का भुगतान करें। |
| | v. | अध्यासी द्वारा नियमानुसार जल कर, सीवर कर एवं अन्य सम्बन्धित कर फ्लैट रेट रेन्ट के अतिरिक्त देय होंगे। |
| 14. नीति बनाने एवं उसमें परिवर्तन का अधिकार | i. | नीति बनाने एवं उसमें परिवर्तन का अधिकार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल में निहित रहेगा। |
| | ii. | किन्हीं विशेष परिस्थितियों या कारणों, जिनसे निदेशक मंडल संतुष्ट हो और जिनका आदेश में उल्लेख करना आवश्यक होगा, से इस नीति के प्राविधानो में निदेशक मंडल द्वारा शिथिलीकरण किया जा सकता है। |
| 15. निरसन | i. | इस नीति के लागू होने के पश्चात आवास आवंटन सम्बन्धी पूर्व के समस्त प्राविधान/आदेश तत्काल प्रभाव से निरसित हो जायेंगे एवं प्रभावी नहीं होंगे। |
| | ii. | इस नीति के समस्त प्राविधान पूर्व में आवंटित किये गए आवासों और उनके अध्यासियों पर भी लागू होंगे। |

Haan. [signature]

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से,**

**संo– 1155 अ–7/मु0अ0(हा0)/आवास नीति–2024 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपारेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०. मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० रिन्यूएबल एंड इ०वी० इंफ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०।
12. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
15. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
16. उप सचिव (सचि०प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

U Kumar
11.11.2024

**(उत्सव कुमार निरंजन)**
**वैयक्तिक सहायक(द्वितीय)**
**कृते मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)**

उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम

डायरी सं0 2702/
फाइलक्रमांक
दिनांक 23/8/12

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण द्वितीय

दूरभाष { कार्यालय : 0522–2218583
नवम् तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांक : 2012

पत्रांक–4558–मु0अ0(जानपद)पारेषण–द्वितीय/ए–4

## शुद्धि पत्र

एतदद्वारा इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 4339–मु0अ0(जानपद)/पारे0द्वि0/ए–4 दि0 4.8.2012 द्वारा निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुए लखनऊ में स्थित कालोनियों के विभिन्न आवासों का मासिक किराया एवं लिविंग एरिया को संलग्न प्रपत्र 1 व 2 के अनुसार संशोधन उपरान्त निर्धारित किया जाता है।

के0के0 मौर्या
मुख्य अभियन्ता (जानपद)पारेषण द्वितीय

पत्र संख्या–4558–मु0अ0(जानपद) पारेषण द्वितीय/ए–4 तददिनांक : 18/8/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संशोधन की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ।
3– निदेशक(आपरेशन)/(का0प्र0)/(वर्क एण्ड प्रोजेक्ट) उ0प्र0पा0ट्रा0का0 लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4– अपर सचिव (कार्मिक प्रबन्धन–प्रथम/द्वितीय/तृतीय) उ0प्र0 पावर कापोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5– संयुक्त सचिव (सा0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
6– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
7– अधीक्षण अभियन्ता (मु0) शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ।
8– अधिशासी अभियंता विद्युत जानपद निर्माण खण्ड–प्रथम, लखनऊ।

16/8/12

( राकेश त्रिवेदी )
अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)पारेषण द्वितीय

Computer
OA-I/II
OA-III/Mamta/Rakesh/Kartik

S.E. (HQ)

AE (A) / OA III
23.8.12

E:\lenovo912\My Documents\Neelam.doc

4558

## प्रपत्र–1

कार्यालय के पत्र संख्या– [redacted] –मु0अ0(जानपद)पारेषण–द्वितीय/ए–4 दिनांकः– 16/08/2012

...रपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–194–जी0ए0/पाकालि0–12/12–34–जी0ए0/90दिनांक–03.05.2012 के अनुसार लखनऊ स्थित ...धिकारी आवासों का फ्लैट रेट से रेन्ट का लिविंग एरिया के आधार पर निर्धारण ।

| क्रम सं0 | आवास का प्रकार | आवास स्थल | कुल संख्या | फ्लैट रेट से निर्धारित किराया दर रू0 प्रतिमाह |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवास टाइप–5 | | | |
| | नं01एवं 2,3 तथा 4 | निरालानगर | 4 | 1800 |
| | नं0 1 एवं 2 | विवेकानन्दपुरी | 2 | 3,000 |
| | नं0 1 एवं 4 भूतल तथा 2,3,5 एवं 6 प्रथम एवं द्वितीय तल | इन्द्रलोक | 6 | 1260 |
| 2. | आवास टाइप–5(एस0ई0 टाइप) | | | |
| | नं0 3एवं 5 भूतल | विवेकानन्दपुरी | 2 | 2100 |
| | नं0 4 एवं 6 प्रथम तल | विवेकानन्दपुरी | 2 | 1800 |
| | नं0 35, 37, 39, एवं 41 भूतल 36, 38, 40, एवं 42 प्रथम तल | विवेकानन्दपुरी | 8 | 1260 |
| 3. | आवास टाइप–4 | | | |
| | नं0 55, एवं 58 भूतल 56, 57, 59, एवं 60 प्रथम एवं द्वितीय तल 79 एवं 82 भूतल एवं 80, 81, 83 एवं 84 प्रथम एवं द्वितीय तल | चन्द्रलोक | 12 | 1260 |
| | नं0 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100 भूतल नं0 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, एवं 101 प्रथम तल नं0 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, एवं 102 द्वितीय तल | इन्द्रलोक | 30 | 1110 |
| | नं0 1 से 8 भूतल , 9 से 16 प्रथम तल 17 से 24 द्वितीय तल एवं 25 से 32 तृतीय तल | पी0 एन0 रोड | 32 | 1110 |
| 4. | आवास टाइप अधीशासी अभियन्ता | | | |
| | नं0 7, 9, 15, 17, 19, एवं 21 भूतल एवं 8, 10, 16, 18, 20 एवं 22 प्रथम तल | विवेकानन्दपुरी | 12 | 1110 |
| | नं0 9 एवं 12 भूतल एवं 10 तथा 11 प्रथम तल | 17 क्लाइड रोड | 4 | 1110 |
| 5. | आवास टाइप सहायक अभियन्ता | | | |
| | नं0 11, 13, 23, 25, 27, 29, 31, एवं 33 भूतल एवं 12, 14, 24, 26, 28, 30, 32, एवं 34 प्रथम तल | विवेकानन्दपुरी | 16 | 1110 |
| | नं0 1, 4, 5, एवं 8 भूतल एवं 2, 3, 6, एवं 7 प्रथम तल | 17 क्लाइड रोड | 8 | 1110 |
| 6. | आवास टाइप सहा0 अभि0/अधि0 अभि0 | | | |
| | नं0 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 74, 75, 77 एवं 78 प्रथम एवं द्वितीय तल 19, 22, 25, 28, 73, एवं 76 भूतल एवं 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, भूतल एव 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53 एवं 54 द्वितीय तल | चन्द्रलोक | 42 | 1110 |
| | नं0 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, एवं 70 भूतल 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, एवं 71 प्रथम तल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, एवं 72, द्वितीय तल | इन्द्रलोक | 72 | 1110 |
| 7. | आवास टाइप ट्रांजिट | | | |
| | नं0 1, 4, 7, 10, 13, 16 भूतल 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, एवं 18 प्रथम एवं द्वितीय तल 61, 64, 67, 70 भूतल 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, प्रथम एवं द्वितीय तल | चन्द्रलोक | 30 | 690 |
| | नं0 2, 3, 4, 5, एवं 6 भूतल | गोखले मार्ग | 5 | 630 |
| | नं0 1, 10, 20 भूतल प्रथम एवं द्वितीय तल 7, 8, 9, 17, 18, 19, 27, 28, 29 भूतल 16 एवं 26 प्रथम एवं द्वितीय तल 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, एवं 25 प्रथम व द्वितीय तल | गोखले मार्ग | 24 | 510 |
| 8. | आवास टाइप एम0 आई0 जी0 | इन्दिरानगर | 20 | 690 |

सभी अतिरिक्त टैक्स का भुगतान आदेश सं0–194–जी0ए0/पाकालि0–12/12–34–जी0ए0/90दिनांक–03.05.2012 के अनुसार देय होगा।

16/8

(राकेश त्रिवेदी) 16/08/12

अधिशासी अभियन्ता (मु0)

सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता(जा0)पारे0–द्वि0

# प्रपत्र–2

4558

कार्यालय के पत्र संख्या– 4550 –मु0अ0(जानपद)पारेषण–द्वितीय/ए–4 दिनांकः– 16/08/2012

रपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–194–जी0ए0/पाकालि0–12/12–34–जी0ए0/90दिनांक–03.05.2012 के अनुसार लखनऊ स्थित कर्मच आवासों का फ्लैट रेट से रेन्ट का लिविंग एरिया के आधार पर निर्धारण ।

| क्रम सं0 | आवास का प्रकार | आवास स्थल | कुल संख्या | फ्लैट रेट से निर्धारित किराया दर रू0 प्रतिम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवास टाइप–3 | | | |
| | नं0 1, 2, 7, 8, 13 व 14 भूतल 3,4,5,6,9,10,11,12,15,16,17 व 18, प्रथम एवं द्वितीय तल | पी0 एम0 रोड | 18 | 630 |
| | नं0 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, व 22 भूतल व 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, व 24 प्रथम एवं द्वितीय तल | ओल्ड ब्लाक इन्द्रलोक | 24 | 630 |
| | नं0 25, 28, 31, 34, 37, व 40 भूतल व 26, 27, 29 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, प्रथम एवं द्वितीय तल | न्यू ब्लाक इन्द्रलोक | 18 | 690 |
| | नं0 1 | एच0ए0एल0 | 1 | 690 |
| | नं0 1, 2, 3, व 4 | डालीगंज | 4 | 690 |
| | नं0 1, 2, 3, 4, 5, 6 | टी0आर0टी0 | 6 | 690 |
| 2. | आवास टाइप–2 | | | |
| | नं0 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 49, 50, 55, 56, 61, 62, 67 व 68 भूतल 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71 व 72 प्रथम एवं द्वितीय तल | पी0 एम0 रोड | 72 | 450 |
| | नं0 1,2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, व 52 भूतल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, व 60 प्रथम एवं द्वितीय तल | ओल्ड ब्लाक इन्द्रलोक | 60 | 450 |
| | नं0 61, 62, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 85, 86, 91, 92, 94, 97, 98, 103, 104, 109, 110, 115, 116, 121, 122, 127, 128, 133, 134, 139, 140, 145, 146, 151, 152 व 155 भूतल 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 105 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 135,, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155 व 156 प्रथम एवं द्वितीय तल | न्यू ब्लाक इन्द्रलोक | 96 | 450 |
| | नं0 1 व 2 भूतल 3, 4, 5, व 6 प्रथम एवं द्वितीय तल | डालीगंज | 6 | 450 |
| | नं0 1, 2, 7, व 8, भूतल व 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, प्रथम एवं द्वितीय तल | एच0ए0एल0 | 12 | 450 |
| | नं0 49 से 108 | मोतीझील | 60 | 450 |
| | नं0 1 से 4 | अशोक मार्ग | 4 | 450 |
| 3. | आवास टाइप एल0आई0जी0 | | | |
| | नं0 153/1 से 153/8, 155/1 से 155/8, 157/1, से 157/8, 159/1से 159/8 | इन्द्रानगर | 32 | 210 |
| 4. | आवास टाइप–1 | | | |
| | नं0 1 से 24 | पी0 एन0 रोड | 24 | 210 |
| | नं0 1,2,3,4,13,14,15,16,25,26,27,28,37,38,39,40,49,50,51,52,61,62,63,व 64, भूतल व 5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57,58,59,60,65,66,67,68,69,70,71 व 72, प्रथम एवं द्वितीय तल | ओल्ड ब्लाक इन्द्रलोक | 72 | 210 |
| | नं0 73,76,79,82,85,88,91,94,97,100,103,106,109,112,115,व 118, भूतल 74,75,77,78,80,81,83,84,86,87,89,90,92,93,95,96,98,99,101,102,104,105,107,108,,110,111,113,114,116,117,119,व 120 प्रथम एवं द्वितीय तल | न्यू ब्लाक इन्द्रलोक | 48 | 210 |
| | नं0 1,6,7 व 12, भूतल नं0 2,3,4,5,8,9,10,11, प्रथम एवं द्वितीय तल | डालीगंज | 12 | 210 |
| | नं0 1,6,7,12,13,व 14, भूतल व नं0 2,3,4,5,8,9,10,11, प्रथम एवं द्वितीय तल | एच0ए0एल0 | 14 | 210 |
| | नं0 1,2,3,4,5,(सी) | डालीगंज | 5 | 210 |
| | नं0 1 व 2 (डी) | डालीगंज | 2 | 150 |

सभी अतिरिक्त टैक्स का भुगतान आदेश सं0–194–जी0ए0/पाकालि0–12/12–34–जी0ए0/90दिनांक–03.05.2012 के अनुसार देय होगा।

16/8/12

(राकेश त्रिवेदी)
अधिशासी अभियन्ता (मु0)
समबद्ध मुख्य अभियन्ता(जा0)पारे0–द्वि0

16/8/12

**उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहायक वितरण कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों की आवंटन नीति–2024**

## आवास आवंटन की वरिष्ठता निर्धारण हेतु प्रारूप

*(कार्मिक की वरिष्ठता का निर्धारण आवास आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 6 के प्राविधानानुसार किया जायेगा। कार्मिक को आवास आवंटन की वरिष्ठता हेतु निर्धारित प्रारूप में विवरण भरकर लखनऊ जनपद में स्थित कालोनियों के आवासों हेतु मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय में, डिस्कॉम मुख्यालय वाले जनपदों एवं अन्य जनपदों में स्थित कालोनियों के आवासों हेतु सम्बन्धित आवास आवंटन समितियों के संयोजक के कार्यालय में प्रेषित करना होगा।)*

| | |
|---|---|
| 1. कार्मिक का नाम : | |
| 2. UPPCL E-MAIL ID (GWS ID) : | |
| 3. मोबाइल नम्बर : | |
| 4. जन्मतिथि : | |
| 5. सेवा में नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि : | |
| 6. कार्मिक का वर्तमान पदनाम : | |
| 7. सैप आई0डी0 : | |
| 8. वरिष्ठता क्रमाँक/अभिज्ञान संख्या : | |
| 9. वर्तमान कार्यालय : | |
| 10. वर्तमान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि : | |
| 11. वर्तमान जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि : | |
| 12. पूर्व तैनाती का जनपद का नाम : | |
| 13. क्या पूर्व तैनाती जनपद में आवास आवंटित था : | ☐ हाँ / ☐ नहीं |
| 14. यदि हाँ तो आवास सं0/कालोनी एवं जनपद का नाम : | |
| 15. यदि पूर्व तैनाती जनपद में आवास आवंटित था तो उसे खाली कर दिया गया है अथवा नहीं : | ☐ हाँ / ☐ नहीं |

कार्मिक के हस्ताक्षर :
कार्मिक का नाम :
तिथि :

अग्रसारित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम :
पदनाम :
मोहर :

*नोटः उपरोक्त क्रमांक 1 से 15 में वांछित समस्त सूचनाएं आवश्यक रूप से भरी जानी है। कार्मिक भरी गयी सूचना की सत्यता के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।*

## उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहायक वितरण कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों की आवंटन नीति–2024

### आवास आवंटन हेतु विकल्प पत्र का प्रारूप

*(रिक्त आवासों के सापेक्ष विकल्प देने की नोटिस में दी गयी निर्धारित तिथि के भीतर कार्मिकों द्वारा आवास आवंटन हेतु रिक्त आवासों में से वांछित आवास का विकल्प निम्नांकित प्रारूप में आवास आवंटन समिति के संयोजक के कार्यालय में दिया जायेगा।)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. आवास आवंटन नोटिसः | संख्या : | दिनांकः | |
| 2. कार्मिक का नाम : | | | |
| 3. सैप आई0डी0 : | | | |
| 4. कार्मिक का वर्तमान पदनाम : | | | |
| 5. क्या लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, आगरा एवं कानपुर शहर में स्वयं का आवास है :<br>(इन शहरो में तैनाती होने पर स्वयं का आवास होने की स्थिति में विभागीय आवास आवंटित नहीं किया जायेगा ) | ☐ हाँ / ☐ नहीं | | |
| 6. क्या वर्तमान जनपद में निगमीय आवास आवंटित है: | ☐ हाँ / ☐ नहीं | | |
| 7. यदि हाँ तो 1. कॉलोनी का नाम/2. आवास संख्या/ 3. कब्जा लेने की तिथि सम्मुख अंकित करें | | | |

**आवास आवंटन हेतु विकल्प**

**नोट : केवल उन्हीं आवासों का विकल्प दिया जाए जिसमें जाने हेतु कार्मिक इच्छुक हो एवं वह आवास रिक्त आवास आवंटन सम्बन्धी नोटिस (उक्त क्रमांक 1 अनुसार) में सम्मिलित हो। कार्मिक नोटिस में उपलब्ध आवासों में एक या अधिक का विकल्प दे सकते हैं।**

| **आवास का वरीयता क्रम** | **आवास जिसके आवंटन हेतु इच्छुक है** | |
|---|---|---|
| | **कालोनी का नाम** | **आवास संख्या** |
| प्रथम वरीयता | | |
| द्वितीय वरीयता | | |
| तृतीय वरीयता | | |
| चतुर्थ वरीयता | | |
| ..... | | |
| ..... | | |

**घोषणा** : मैंने *उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कंपनियों तथा उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों की आवंटन नीति–2024* के समस्त प्राविधानो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है एवं मैं अवगत हूँ कि इस नीति के समस्त प्राविधान मुझ पर लागू होंगे।

तिथि :

कार्मिक के हस्ताक्षर :

कार्मिक का नाम :

विभागीय इ–मेल :

मोबाइल नंबर :

**नोटः** उपरोक्त वांछित समस्त सूचनाएं आवश्यक रूप से भरी जानी है। कार्मिक भरी गयी सूचना की सत्यता के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

---

**कार्यालय उपयोग हेतु :**

| | |
|---|---|
| 1. बैठक की तिथि | |
| 2. उपरोक्त विकल्पों में आवंटित किए गए आवास का विवरण | |